

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

27
29.08.2023

न्यायालय उपायुक्त, राँची
विविध अपील वाद सं० 25 आर० 15/2020-21

गोन्दल महतो पिता स्व० रति महतो निवासी ग्राम उपरनगडु,
थाना ओरमांझी, जिला राँची अपीलकर्ता

बनाम

1. मुनेश्वर महतो
2. धनेश्वर महतो

दोनो पिता स्व० जयपाल महतो
निवासी ग्राम उसारा, रामगढ़, जिला रामगढ़ उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता ने विद्वान उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर, राँची के द्वारा विविध अपील वाद सं० 02/2012-13/टी० आर० 07/2013-14 में दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उत्तरवादी के नाम से मौजा बनलोटवा के खाता सं० 30 रकबा 10.08 एकड़ भूमि की लम्बे अर्से से चली आ रही जमाबंदी को बहाल रखा गया।

विगत तिथि को बार-बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्ता की ओर से इस अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। अतः


अनुसूची 14 - फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3


2

प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव में समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति लगान वाद उपसमाहर्ता, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।


उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची